न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 45/2010

1 रामसिंह आयु 65 साल पुत्र श्योनारायण जाति खाती निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय उपखण्ड
अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना प्रार्थना
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 306/2010
निर्णय 06.07.2010

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 08.03.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा संख्या 306/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 06.07.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू स्थित हाल आराजी खाता संख्या 337 के हाल खसरा नम्बर 823,824,842,907,908 कुल किता 5 कुल रकबा 7.26 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थी एकांकी रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है एवं प्रार्थी ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त खसरा नम्बर 823,824,907,908 के मध्य से कटान किया हुआ रास्ता है, जबकि करीब 30–35 साल से उक्त रास्ता काम में नही किया जाकर खसरा नम्बर 823,824 के पश्चिमी दिशा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के सहारे सहारे सीमा पर से होते हुए आगे की ओर जाता है तथा उक्त रास्ता ही वर्तमान में काम में लिया जा रहा है तथा कटानसुदा रास्ता का उपयोग उपभोग पिछले 30–35 साल से नही किया जा रहा है। संवत 2003 में मौके पर जो प्रचलित रास्ता है उसी पर ग्रेवल सड़क डाली गई थी जो मौके पर मौजूद है। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करे कि वह दौराने वाद ग्राम बड़बर तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 823,824,907,908 में प्रचलित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता कायम न करें। प्रार्थी के खेत में कोई हरा पेड़ व प्रार्थी द्वारा बनाई गई पानी की टंकी न तोड़े ऐसा न स्वंय करे न ही अपने अन्य एजेन्ट से करावें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी जारी की गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब दर पेश नही की गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थी स्वंय उपस्थित बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार बुहाना सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है कि जो रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ है वह मौके पर प्रचलित नही है जो मौके पर वर्तमान में प्रचलित है उसी अनुसार दुरूस्त किया जावे तथा तब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तक अप्रार्थी का जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वाके ग्राम बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू स्थित हाल आराजी खाता संख्या 337 के हाल खसरा नम्बर 823,824,842,907,908 कुल किता 5 कुल रकबा 7.26 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थी एकांकी रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है एवं प्रार्थी ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त खसरा नम्बर 823,824,907,908 के मध्य से कटान किया हुआ रास्ता है, जबकि करीब 30–35 साल से उक्त रास्ता काम में नही किया जाकर खसरा नम्बर 823,824 के पश्चिमी दिशा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के सहारे सहारे सीमा पर से होते हुए आगे की ओर जाता है तथा उक्त रास्ता ही वर्तमान में काम में लिया जा रहा है तथा कटानसुदा रास्ता का उपयोग उपभोग पिछले 30–35 साल से नही किया जा रहा है। संवत 2003 में मौके पर जो प्रचलित रास्ता है उसी पर ग्रेवल सड़क डाली गई थी जो मौके पर मौजूद है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। जो विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित रास्ते का उसके स्वंय द्वारा अन्य मौका जांच प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया था तथा मौके पर पाया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कटान के रास्ते के अनुसार ही रास्ता कायम है तथा प्रचलित है। अत प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमावा जावें। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को विवेचित कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित रास्ते का मौका निरीक्षण किया गया था तथा मौके पर पाया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कटान के रास्ते के अनुसार ही रास्ता कायम है तथा प्रचलित है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को विवेचित कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर